

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 171 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002
एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि.) रजि.
कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001, राज. जरिये
प्राधिकृत अधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह महलाना

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जरिये प्रो. सुरेश कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, जाति रैगर, निवासी बाबा श्याम कॉम्प्लेक्स, ग्राम कांवट, तहसील खण्डेला, जिला-सीकर (राज.)
2. सुरेश कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, जाति रैगर, निवासी मेघपुरा तन भादवांडी, तहसील खण्डेला, जिला-सीकर (राज.)
3. जितेन्द्र पुत्र प्रकाश चन्द, जाति रैगर, निवासी मेघपुरा तन भादवांडी, तहसील खण्डेला, जिला-सीकर (राज.)

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction
of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 15 सितम्बर, 2025



1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जरिये प्रो. सुरेश कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, सुरेश कुमार पुत्र प्रकाश चन्द एवं जितेन्द्र पुत्र प्रकाश चन्द की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सुरेश कुमार के स्वामित्व की निम्न अचल सम्पत्तियां बंधक हैं।

प्रथम बंधक सम्पत्ति:- आवासीय भूखण्ड प्लॉट नं. एफ-23, श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, ग्राम कांवट, तहसील खण्डेला, जिला-सीकर (राज.) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 13.77 वर्गमीटर है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं-

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर


पूरब दिशा में दुकान एफ-22, पश्चिम दिशा में दुकान एफ-24, उत्तर दिशा में दुकान एफ-08 एवं दक्षिण दिशा में रास्ता 12 फीट स्थित है।

द्वितीय बंधक सम्पत्ति:- आवासीय भूखण्ड प्लॉट नं. जी-37बी, श्री श्याम कॉम्पलेक्स, ग्राम कांवट, तहसील खण्डेला, जिला-सीकर (राज.) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 7.03 वर्गमीटर है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में रास्ता 10 फीट, पश्चिम दिशा में दुकान जी-36, उत्तर दिशा में दुकान जी-37ए एवं दक्षिण दिशा में रास्ता 12 फीट स्थित है।

उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **कुल ₹12,60,000/- रूपये (अक्षरे रूपये बारह लाख साठ हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **25.03.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **25.03.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।


(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जरिये प्रो. सुरेश कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, सुरेश कुमार पुत्र प्रकाश चन्द एवं जितेन्द्र पुत्र प्रकाश चन्द** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सुरेश कुमार** के स्वामित्व की निम्न अचल सम्पत्तियां बंधक हैं।

प्रथम बंधक सम्पत्ति:— आवासीय भूखण्ड प्लॉट नं. एफ-23, श्री श्याम कॉम्पलेक्स, ग्राम कांवट, तहसील खण्डेला, जिला-सीकर (राज.) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 13.77 वर्गमीटर है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में दुकान एफ-22, पश्चिम दिशा में दुकान एफ-24, उत्तर दिशा में दुकान एफ-08 एवं दक्षिण दिशा में रास्ता 12 फीट स्थित है।

द्वितीय बंधक सम्पत्ति:— आवासीय भूखण्ड प्लॉट नं. जी-37बी, श्री श्याम कॉम्पलेक्स, ग्राम कांवट, तहसील खण्डेला, जिला-सीकर (राज.) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 7.03 वर्गमीटर है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में रास्ता 10 फीट, पश्चिम दिशा में दुकान जी-36, उत्तर दिशा में दुकान जी-37ए एवं दक्षिण दिशा में रास्ता 12 फीट स्थित है।

उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **15 सितम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर